UPAG010047972026

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट), आगरा।
उपस्थित : शिव कुमार-II, एच0जे0एस0–UP06100
दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं0– 434/2026

श्रीमती आदेश कुमारी ––––– प्रार्थिया

बनाम

राम अवतार पहलवार ––––– विपक्षी

थाना– सिकन्दरा, आगरा।

दिनांक 23.07.2026

1– पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

2– प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थिया श्रीमती आदेश कुमारी पत्नी श्री सतीश चन्द निवासी– 206, गणपति धाम, कामायनी हॉस्पीटल के पास, सिकन्दरा, आगरा की निवासिनी है तथा प्रार्थिया द्वारा थाना सिकन्दरा, जिला आगरा में दिनांक 21.01.2025 को मु0अ0सं0 42/2025 अंतर्गत धारा 115(2), 351(2), 352, 74, 333 बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी.एस.टी. एक्ट में मुकदमा, राम अवतार पहलवार पुत्र जगदेव सिंह, हाल निवासी– फ्लैट नं0 307, थर्ड फ्लोर, गणपति धाम, कामायनी हॉस्पीटल के पास, आगरा के विरुद्ध पंजीकृत कराया था जिसमें थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त रामअवतार पहलवार के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 131/2025, दिनांकित 29.03.2025 प्रस्तुत किया है जो कि वर्तमान में माननीय विशेष न्यायाधीश (एस.एसी.एस.टी. एक्ट) आगरा के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम तिथि दिनांक 30.04.2025 नियत है। अभियुक्त राम अवतार पहलवार उक्त मुकदमें में जमानत रहने के उपरान्त प्रार्थिया के ऊपर मानसिक एवं भयपूर्वक दबाव बनाने व समझौता करके मुकदमा वापस लेने का दवाब बनाने के कारण आयेदिन बद्तमीजी करता रहता है और जब भी प्रार्थिया अपनी सोसाइटी में आती–जाती है तो वह प्रार्थिया व उसकी पुत्रवधु के ऊपर छींटाकसी व अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए छेड़खानी करता है और विरोध करने पर ढेड़ चमार जैसे जातिसूचक शब्दों का सार्वजनिक स्थल पर प्रयोग करते हुए डराता–धमकाता है और जान से मारने की धमकी देता है। प्रार्थिया के विरुद्ध विगत 2–3 महीनों से यह क्रम लगातार चल रहा है और दिनांक 18.04.2026 को सुबह करीब 08.30 बजे के आस–पास जब प्रार्थिया अपने फ्लैट से सोसाइटी में बने मन्दिर में जा रही थी, तभी लिफ्ट के पास रामअवतार पहलवार द्वारा प्रार्थिया के साथ अभद्र व अशोभनीय

व्यवहार करते हुए एवं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थिया के साथ आपराधिक कृत्य किया और प्रार्थिया को सार्वजनिक मन्दिर पर जाति विरोधी बातें कहते हुए घुसने नहीं दिया और धक्का देते हुए प्रार्थिया को मन्दिर की सीड़ियों से निकाल दिया था। प्रार्थिया इस घटना से काफी भयभीत व मानसिक प्रताड़ना में है। राम अवतार पहलवार आयेदिन प्रार्थिया व उसकी पुत्रवधु श्रीमती शिप्रा सिंह के साथ कई बार छेड़खानी व जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर चुका है व सार्वजनिक स्थान पर जातिविरोधी शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें कई बार अपमानित कर चुका है और स्पष्ट रूप से धमकी देता है कि सोसायटी से मकान बेचकर चले जाओं, यहाँ पर चमारों के लिए कोई मकान नहीं है। प्रार्थिया करीब 65 वर्षीय वृद्ध महिला है। प्रार्थिया अपनी पुत्रवधु व वृद्ध पति के साथ निवास करती है तथा उक्त घटनाओं से काफी भयभीत व मानसिक दवाब में है। प्रार्थिया द्वारा घ ाटना की शिकायत उसी दिन लिखित रूप से थाना सिकन्दरा, जिला आगरा में की थी, किन्तु कोई भी कार्यवाही न होने पर प्रार्थिया ने घटना की शिकायत पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 27.04.2026 को श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, आगरा कमिश्नरेट, आगरा एवं थाना प्रभारी, थाना सिकन्दरा, जिला–आगरा को की थी और जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उ0प्र0 शासन लखनऊ को की थी, किन्तु कोई भी कार्यवाही न होने के कारण प्रार्थिया उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। अतः थाना सिकन्दरा, आगरा पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने हेतु आदेश पारित करने की याचना की गयी।

3– प्रार्थिया की ओर से अपने कथन के समर्थन में स्वयं के आधारकार्ड की छायाप्रति, श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, श्रीमान थाना प्रभारी, थाना सिकन्दरा आगरा को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, डाक रसीदों की छायाप्रति, जनसुनवाई पोर्टल पर की गयी शिकायत की छायाप्रति, माननीय मख्यमंत्री को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, थाना सिकन्दरा आगरा की रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये हैं।

4– सम्बन्धित थाने से आख्या तलब की गई। थाना सिकन्दरा पुलिस कमिश्नरेट, आगरा की आख्या में कहा गया है कि प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त आरोपों के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6– प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से विपक्षी द्वारा प्रार्थिया के साथ छेड़छाड़ करने, मारपीट करने, गालीगलौच करने, जान से मारने की धमकी देने तथा यह जानते हुए कि प्रार्थिया अनुसूचित जाति की सदस्य हैं, को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का कथन किया गया है।

7– उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में संबंधित थाने से प्राप्त आख्या में कथन किया गया है कि आवेदिका श्रीमती आदेश कुमारी के द्वारा दिनांक 21.01.2025 को मु0अ0सं0–42/25 धारा 115(2), 351(2), 352, 74, 333 बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी.एस.टी. एक्ट बनाम रामअवतार पहलवार व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, हरीपर्वत कमिश्नरेट आगरा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना पश्चात आरोप–पत्र सं0 131/25, दिनांक 29.03.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो अभी विचाराधीन है। उपरोक्त मुकमदे में नामित अभियुक्त रामअवतार से खुन्नस खाकर आवेदिका के द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात आस–पास के लोगों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि रामअवतार का श्रीमती आदेश कुमारी के साथ एक केस चल रहा है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में लगाये गये समस्त आरोप असत्य व निराधार है। गणपती सोसायटी में निवास करने वाले कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी करने पर बताया कि श्रीमती आदेश कुमारी पत्नी श्री सतीश चन्द्र व रामअवतार पहलवार के बीच पहले से ही मुकदमेबाजी चल रही है, इसी के सम्बन्ध में आपस में इनकी बनती नहीं है और आयेदिन एक–दूसरे के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित करते रहते है। प्रार्थना पत्र में आवेदिका द्वारा अन्य लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में थाना हाजा पर वर्तमान में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

8– थाने से प्राप्त उक्त आख्या से स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा जिस घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने हेतु प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना दिया गया है, उस घटना के सम्बन्ध में पूर्व से प्रार्थिया द्वारा विपक्षी व अन्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 42/2025 पंजीकृत कराया जा चुका है जिसमें विवेचना पश्चात विवेचक द्वारा आरोप–पत्र भी न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थिया द्वारा स्वयं का जाति–प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई आधार नहीं दिया गया है जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जा सके। तद्नुसार प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिया श्रीमती आदेश कुमारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(**शिव कुमार-II**)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी. एक्ट),
आगरा।

Digitally signed by Shiv Kumar II
Date: 2026.07.27 11:14:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court